बिहार सरकार (राज्य योजना)

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4डी0/आ0 वि0(नि0/म0)–05–21/2014 92

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 14.02.17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–773–2/जि0क0 दिनांक–17.10.2016 द्वारा डा0 भीम राव अम्बेदकर बालक छात्रावास, गाँधी पथ, सहरसा एवं डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, अमरपुर, सहरसा के विद्युतिकरण की मरम्मति/जीर्णोद्धार के लिए अधीक्षण अभियंता से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, दरभंगा भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–1202 दिनांक–22.09.2016 से प्राप्त कुल ₹56,26,092/–(छप्पन लाख छब्बीस हजार बानवे रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :–**स्वीकृत।**

2– प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 के तहत बजट मुख्य शीर्ष "4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01– कार्यालय भवन– लधु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना–उप शीर्ष–0101–अनुसूचित जाति के भवन–विषय शीर्ष–5301–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–**पी0 4059017890101** से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होगा।

3– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग , बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे।

5– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नकशा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा।

6– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7 – इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

8 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।